

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 193 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 15/02/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 314/2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम- ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/09/39/2023/एफ0सी0/1167 दिनांक 11.12.2023।

महोदय,

विषयगत हैलीपैड के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 36/12-1 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अपनी स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स सहित संलग्न कर आपके सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 36 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 01 जुलाई, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

**विषय:-** जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 314/2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
**सन्दर्भ:-** भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/39/23/2023/एफसी0/1167 दिनांक 11.12.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत सूचित किया गया था कि प्रस्तावित परियोजना के के0एम0एल0 के अनुसार क्षेत्र में नवम्बर-दिसम्बर 2021 के समय मार्ग निर्माण किया गया है, जिस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.05.2024 को प्रस्तावित हैलीपैड स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया (निरीक्षण स्थल के फोटो संलग्न), जिसमें वन क्षेत्राधिकारी, डीडीहाट व प्रस्तावक विभाग (ग्रामीण निर्माण विभाग) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रस्तावित हैलीपैड स्थल तक पूर्व से सामान्य बटिया थी, जिसका वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रस्तावित हैलीपैड तक एप्रोच वाहन मार्ग के रूप में चौड़ीकरण किया गया है।

उक्त अवैध निर्माण हेतु वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट द्वारा अपराधी पूरन सिंह, प्रवीण सिंह व दिनेश सिंह के विरुद्ध क्रमशः रेंज जुर्म केश सं0 37/21-22, 36/21-22 व 16/22-23 इजराय किया गया है। उक्त के विरुद्ध ननपापो खेल मैदान हेतु रास्ते का बिना अनुमति चौड़ीकरण करने व प्रस्तावित स्थल को खुर्द-पुर्द किये जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत निम्नवत जुर्म केश इजराय कर जुर्माना वसूल किया गया है।

रेंज जुर्म केश सं0	अपराधी का नाम	पता	अपराध	अन्य विवरण/वन अपराध पर वसूला गया/प्रतिकर/मुआव जा
36/21-22	प्रवीण सिंह श्री खड़क सिंह	ग्राम ननपापो, पो0 सानदेव, तहसील डीडीहाट	दिनांक 14.03.2022 को ननपापो में वन पंचायत की जमीन खुर्द पुर्द कर रास्ता चौड़ीकरण	ई0-3 सं0 469 दिनांक 28.12.2022 अनुसार रु0 75000.00
37/21-22	पूरन सिंह श्री खड़क सिंह	ग्राम ननपापो, पो0 सानदेव, तहसील डीडीहाट	दिनांक 29.03.2022 को ननपापो खेल मैदान हेतु बनाये जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण करना	ई0-3 सं0 470 दिनांक 28.12.2022 अनुसार रु0 75000.00
16/22-23	दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	ग्राम ननपापो, पो0 सानदेव, तहसील डीडीहाट	दिनांक 04.10.2022 को ननपापो में वन पंचायत की जमीन को खुर्द-पुर्द करना व	ई0-3 सं0 468 दिनांक 28.12.2022 अनुसार रु0 50000.00

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण को आगामी आर0ई0सी0 की बैठक में प्रस्तावित किये जाने हेतु उच्च स्तर को लिखने का कष्ट करेंगे।  
संलग्न:- यथोक्त ।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ ।

